रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240902
CG-DL-E-08122022-240902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5509] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944
No. 5509] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5745(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करने का आदेश देती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश 2012 में, अनुबंध आदेश सं. 21(1)2007-एमए तारीख 21.06.2010 में, पैरा 3 के उपपैरा (iv) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) मामला-दर-मामला के आधार पर खुली निविदा के माध्यम से एमएसई के लिए आरक्षित सूची से कतिपय मदों की उपाप्ति से छूट देने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करना।

[फा. सं. 21(9)/2017-एमए (भाग-1)]

विपुल गोयल, विकास आयुक्त

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), संख्यांक का.आ. 581(अ), तारीख 23 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 5670(अ), तारीख 9 नवंबर, 2018 और संख्याक का.आ. 3237(अ), तारीख 11 अगस्त, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2022

S.O. 5745(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Amendment Order, 2022.

(2) This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012, in the annexed Order No.21(1)/2007-MA dated 21.06.2010, after sub-paragraph (iv) of paragraph 3, the following sub-paragraph shall be inserted, namely :-

"(v) Consider the requests of the Central Ministries/ Departments/ PSUs for exemption, on a case to case basis, from procuring certain items from the reserved list for MSEs through open tendering".

[F. No. 21(9)/2017-MA(Pt-I)]

VIPUL GOEL, Development Commissioner

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S. O. 581(E), dated the 23rd March, 2012 , subsequently amended *vide* number S.O. 5670(E), dated the 9th November, 2018 and *vide* number S.O. 3237(E), dated the 11th August, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.08 23:18:48 +05'30'